

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 31/25

तारीख 21/2/25

प्रभूलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जालम कि झौंपडियां, श्यामपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. पन्नालाल पुत्र धूला जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उकली का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. कैलाशी देवी पत्नि प्रभू जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जालम कि झौंपडियां, श्यामपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा०ले०रे०एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 21/3/25

प्रार्थना पत्र हम हम/मैं प्रभूलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जालम कि झौंपडियां, श्यामपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 362 पर अंकित आराजी संख्या 559/2 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 362 पर अंकित आराजी संख्या 559/2 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 31/25

तारीख 21/2/25

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 31 / 2025 पत्थरगढी बाबत।

01. प्रभूलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जालम कि झौंपडियां, श्यामपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. पन्नालाल पुत्र धूला जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उकली का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. कैलाशी देवी पत्नि प्रभू जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जालम कि झौंपडियां, श्यामपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 362 पर अंकित आराजी संख्या 559/2 रकबा 0.4047 हेक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियां कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पड़ोसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करे। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलियां

